

भारत बनाम इंडिया

प्रलिस के लयः

[58वाँ संशोधन, अनुच्छेद 1\(1\), संवधान सभा, भारत की आधिकारिक भाषाएँ](#)

मेन्स के लयः

"भारत" और "इंडिया" से जुड़ी ऐतहासिक पृष्ठभूमि, "इंडिया" और "भारत" के बीच संतुलन


यह एडिटरियल 07/09/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "India, Bharat and a Host of Implications" लेख पर आधारित है। इसमें 'भारत' और 'इंडिया' नामों के ऐतहासिक, वैचारिक, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय नहितिारर्थों के बारे में चर्चा की गई है और वचार कया गया है कइन नामों के उपयोग कसि प्रकार राजनीतिक नहितिारर्थ रखते हैं।

'भारत' देश के लयि एक ऐतहासिक और वैचारिक नाम है, जबकि 'इंडिया' एक संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय नाम है। INDIA (Indian National Development Inclusive Alliance) नामक वपिक्षी गठबंधन के गठन के कारण इन नामों के उपयोग का राजनीतिकरण हो गया है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने G-20 शखिर समलेन के नर्मिर्ण कारुड पर 'President of India' के बजाय 'President of Bharat' शब्द का इस्तेमाल कया। शब्दावली में इस बदलाव पर प्रतिक्रया आई और इन नामों के उपयोग के राजनीतिक आयाम प्रकट हुए।

'भारत' और 'इंडिया' से संबद्ध ऐतहासिक पृष्ठभूमि

- नामों की उत्पत्ति: 'इंडिया' शब्द और इसके अन्य भनिन रूप (जैसे अरबी-फरसी में 'हिंद' या तुर्की में हिंदुस्तान) वदिशी मूल के हैं। ये नाम ऐतहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सधु या सधु नदी के दक्षिण और पूर्व की भूमिको संदर्भित करने के लयि उपयोग कयि जाते थे।
- ऐतहासिक उपयोग: अफगान और मुगल शासन के दौरान 'हिंदुस्तान' शब्द का प्रयोग प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करने के लयि कया जाता था।
 - बाद में, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों, वशिष रूप से ब्रिटिश ने न केवल उत्तरी क्षेत्र बलकि पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लयि 'इंडिया' शब्द का उपयोग कया। उनके लयि, यह मुख्य रूप से एक भौगोलिक पदनाम था।
- भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद: भारतीय पुनर्जागरण ने इस चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नभाई कि भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग एक ही राष्ट्र का गठन करते हैं। इस आंदोलन के कुछ प्रवर्तकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्राचीन जड़ें खोजने की कोशिश की और उनका मानना था कि विदेशियों द्वारा दयि गए नाम का उपयोग करना अस्वीकार्य था।
 - उन्होंने 'भारत' शब्द और वभिनिन भाषाओं में इसके अन्य रूपों को प्राथमिकता दी।
- नाम को लेकर ववाद: मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के लयि 'इंडिया' नाम के इस्तेमाल पर चतिा जताई। उनका तर्क था कि 'इंडिया' शब्द को हिंदू-बहुल क्षेत्रों से संबद्ध कया जाना चाहयि, जबकि मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र- 'पाकिस्तान' के रूप में मान्यता दी जानी चाहयि।
 - नाम का यह ववाद वभाजन के दौरान गहराई से मौजूद धार्मिक और राजनीतिक वभाजन को दर्शाता है।
- समन्वयात्मक शब्द 'हिंद': नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने एक समन्वयात्मक शब्द 'हिंद' की वकालत की, जो वभिनिन धर्मों के लोगों सहति व्यापक आबादी के लयि स्वीकार्य हो सकता था।
 - 'हिंद' शब्द आज भी प्रयोग में है और 'जय हिंद' जैसी अभवियक्त भारतीय संस्कृति में इसके स्थायी महत्त्व को प्रकट करती है।



- 1 **MELUHA**
Appears in ancient texts of Mesopotamia to refer to the Indus Valley Civilization
- 2 **BHARAT/ BHARATVARSHA**
Appears in Puranas as the land between the 'sea in the south and the abode of snow in the north'.
- 3 **ARYAVARTA**
Appears in the Manusmriti as the land occupied by the Indo-Aryans
- 4 **JAMBUDVIPA**
Appears in Vedic texts and is still used in a few Southeast Asian countries to describe subcontinent
- 5 **HIND/HINDUSTAN**
First used by Persians to refer to the land across river Sindhu.
- 6 **INDIA**
First used by the Greeks, who transliterated 'Hind' as 'Indus'

‘भारत’ और ‘इंडिया’ के बीच संतुलन

- **संवधान का अंगीकरण:** संवधान सभा द्वारा **भारतीय संवधान** को मूल रूप से अंग्रेज़ी में अंगीकृत किया गया था। यह संवधान के मूलभूत पाठ के रूप में अंग्रेज़ी संस्करण के ऐतिहासिक और वधिक महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **हदी अनुवाद का प्रकाशन:** अंग्रेज़ी संस्करण के अलावा, **भारतीय संवधान का हदी अनुवाद वर्ष 1950 में प्रकाशित** किया गया। इस अनुवाद पर **संवधान सभा** के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गए और यह संवधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार किया गया।
- **दोनों संस्करणों की आधिकारिक स्थिति:** संवधान के अंग्रेज़ी और हदी दोनों संस्करणों की उपस्थिति भारतीय वधिक ढाँचे के भीतर उनकी आधिकारिक स्थिति को रेखांकित करती है।
 - यह भारत की दोनों आधिकारिक भाषाओं— **अंग्रेज़ी और हदी** में संवधान तक पहुँच प्रदान करने के महत्त्व को प्रकट करती है।
- **संवधानिक संशोधन:** वर्ष 1987 में संवधान के **58वें संशोधन** द्वारा आधिकारिक दस्तावेज़ों, वधिक कार्यवाही और सरकारी संचार में हदी एवं अंग्रेज़ी के उपयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया गया।
 - **58वें संशोधन ने राष्ट्रपति** को संवधान के आधिकारिक पाठ को हदी में प्रकाशित करने की शक्ति दी, जिसका उपयोग वधिक कार्यवाही में भी किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 1(1):** संवधान का अनुच्छेद 1(1) देश के नाम और स्वरूप को परिभाषित करता है। अंग्रेज़ी संस्करण में कहा गया है- **“India, that is Bharat, shall be a Union of States”**; यहाँ प्राथमिक नाम के रूप में **‘इंडिया’** शब्द पर बल दिया गया है।
 - हदी संस्करण में लिखा है- **“भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा”**; यहाँ ‘भारत’ नाम को प्रमुखता दी गई है।
- **नामों के उदाहरण:** अंग्रेज़ी में **‘गज़ट ऑफ इंडिया’** और हदी में **‘भारत का राजपत्र’** जैसे उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि यह नामकरण परंपरा विभिन्न आधिकारिक प्रकाशनों पर किस प्रकार लागू होती है।
 - नामों का यह चयन भारत के आधिकारिक दस्तावेज़ों और प्रकाशनों की दोहरी भाषा प्रकृति को दर्शाता है।

कुछ अन्य देश जिन्होंने अपना नाम बदला है

- **सयाम से थाईलैंड (1939):**
 - दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के विरुद्ध अपनी एकता और पहचान का दावा करने के लिये इस देश ने अपना नाम बदल लिया था। नए नाम **‘थाईलैंड’** का अर्थ है **‘स्वतंत्र लोगों की भूमि’** और यह देश की स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय गौरव पर बल देता है।
- **ज़ैरे से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (1997):**
 - तीन दशकों से अधिक समय तक शासन करने वाले **तानाशाह मोबुतु सेसे सेको (Mobutu Sese Seko)** के सत्तावादी शासन से दूरी बनाने के लिये देश ने अपना नाम बदल लिया। नए नाम ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली की वापसी पर बल दिया।
- **पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश (1971):**

- वर्ष 1971 में एक हसिक युद्ध के बाद पूरवी पाकसिस्तान, पश्चिमी पाकसिस्तान से स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। इसने बांग्लादेश मुक्ता युद्ध के अंत को चहिनति कया और दोनों कषेत्रों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई एवं राजनीतिक मतभेदों का प्रतनिधित्व कया।
- वर्ष 2022 में तुर्की/टर्की (Turkey) ने अपना नाम बदलकर तुर्कयि (Türkiye) कर लिया, क्योंकि यह नाम तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के सर्वोत्तम प्रतनिधित्व एवं अभवियक्तिका परतीक है।



वर्तमान परदृश्य क्या है?

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' नाम का उपयोग: भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर नियमिति रूप से 'इंडिया' नाम का उपयोग कया है। यह दर्शाता है कि देश की अंतरराष्ट्रीय पहचान और मान्यता 'इंडिया' नाम के साथ संबद्ध है।
 - यह वैश्विक कूटनीति और संचार में अंगरेज़ी नाम 'इंडिया' के उपयोग की व्यावहारिकता और मानकीकरण को रेखांकित करता है।
- ग्रीस का हालिया उदाहरण: हाल ही में प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य का संदर्भ एक समसामयिक उदाहरण के रूप में रखा जा सकता है। दस्तावेज़ का शीर्षक 'इंडिया-ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट' था, जो आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों में 'इंडिया' के उपयोग पर बल देता है।
- दोहरी भाषा का दृष्टिकोण: यह देखा गया है कि भारत आधिकारिक दस्तावेज़ों और राजनयिक संदर्भों में दोहरी भाषा के दृष्टिकोण (Dual-Language Approach) का पालन करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामिति राजदूतों को सौंपे जाते प्रत्यय पत्र (letters of credence) में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे 'राष्ट्रपति' और 'भारत गणतंत्र' शब्द हिंदी में लिखे होते हैं, जबकि उसके नीचे अंगरेज़ी में 'प्रेसिडेंट' और 'रपब्लिक ऑफ इंडिया' लिखे होते हैं।
 - यह दृष्टिकोण बहुभाषावाद (multilingualism) और अपनी विविध भाषाई वरिसत के प्रत भारत की प्रतबिद्धता को दर्शाता है।
- आधुनिक उपयोग: समकालीन भारत में 'जय हिंद' और 'जय भारत' दोनों का उपयोग देखा जाता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई परंपराओं के सह-अस्तित्व को दर्शाता है। उदाहरण के लिये, अधिकांश प्रमुख संभाषणों (जैसे कि स्वतंत्रता दिवस का संबोधन) में इन दोनों अभवियक्तियों का उपयोग कया जाता है, जो राष्ट्र के ताने-बाने का नरिमाण करने वाले विविध ऐतहासिक एवं सांस्कृतिक तंतुओं की मान्यता को दर्शाता है।

नोट:

- वर्ष 2015 में केंद्र ने यह कहते हुए किसी भी नाम परिवर्तन का वरिोध कया था कि संविधान के प्रारूपण के दौरान इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श कया जा चुका है।
 - भारत का सर्वोच्च नयायालय 'इंडिया' का नाम बदलकर 'भारत' करने संबंधी याचिका को दो बार खारजि कर चुका है (वर्ष 2016 में और फरि वर्ष 2020 में), जहाँ यह पुष्टि की कि 'भारत' और 'इंडिया' दोनों का संविधान में उल्लेख है।

नषिकर्ष

इस तरह का नाम परिवर्तन देश के उन हिससों को अलग-थलग कर सकता है जो 'भारत' के बजाय 'इंडिया' नाम को प्राथमिकता देते हैं। देश के नाम के संबंध में सार्वजनिक भावनाएँ और क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ विविध हैं तथा किसी भी नरिणय में इस पर वचिर कथिा जाना चाहयि। इस परंपरा से कसिी भी वचिलन के सांस्कृतिक और अस्मति संबंधी नहितिारथ उत्पन्न हो सकते हैं। अंगरेज़ी में 'इंडिया' और हदिी में 'भारत' का उपयोग, भारत की भाषाई वविधिता को दर्शाता है और इसे वविकपूर्ण एवं संवैधानिक रूप से सही माना जाता है। सवाल यह उठता है कएिक ऐसे समय जब देश अन्य चुनौतयिों (बेरोज़गारी, पर्यावरणीय गरिवट, गरीबी, स्वास्थ्य देखभाल, असमानता, लगी भेदभाव आदि) का सामना कर रहा है, तब देश के एक नाम पर दूसरे नाम को प्राथमिकता देने और इससे संबद्ध राजनीतिक्या यथोचति है।

अभ्यास प्रश्न: हाल की बहसों और कानूनी नरिणयों के आलोक में, देश के नामकरण में दोहरी भाषा के दृष्टिकोण को बनाए रखने के महत्त्व और नहितिारथ का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजयि। इस परंपरा में कसिी भी संभावति परिवर्तन से संबद्ध चुनौतयिों और वचिरों के बारे में अंतरदृष्टि प्रदान कीजयि।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-name-game-bharat-vs-india>

